Bill No.1 of 2009

THE MEMBERS OF LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (SALARIES, ALLOWANCES, PENSION, ETC) (AMENDEMENT) BILL, 2009

(As passed by the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi on 22.6.2009)

BILL NO. 01 OF 2009

THE MEMBERS OF LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (SALARIES, ALLOWANCES, PENSION, ETC.) (AMENDMENT) BILL, 2009.

A

BILL

further to amend the Members of Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries, Allowances, Pension, etc) Act, 1994.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title and commencement. – (1) This Act may be called the Members of Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries, Allowances, Pension, etc.) (Amendment) Act, 2009.

(2) It shall come into force on such date as the Lt.Governor may, by notification in the official Gazette, appoint.

2. Amendment of section 9. – In the Members of Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries, Allowances, Pension, etc) Act, 1994 (Delhi Act No.6 of 1995), in section 9, for sub-section (4) commencing with the words "where any ex-Member" and ending with the words, bracket and figure "entitled under sub-section (1)", the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(3) Where any person entitled to pension under sub-section (1) is also entitled to any other pension (including pension whether known as Swatantrata Sainik Samman pension or by any other name), such person shall be entitled to receive the pension under sub-section (1) in addition to such other pension."

DVS

This Bill has been passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 22nd day of June, 2009.

Delhi
Dated the 22nd June, 2009.

(Dr. Yoganand Shastri)
Speaker,
Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi.

(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE-EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS)
8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No. F.14(1)/LA-2005/LJ/09/339-348

Dated the 08 October, 2009

NOTIFICATION

No.F.14(1)/LA-2005/LJ/09 - The following Act of The Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President of India on 15th September, 2009 and is hereby published for general information:-

"THE MEMBERS OF LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (SALARIES, ALLOWANCES, PENSION, ETC.)(AMENDMENT) ACT, 2009
(DELHI ACT 8 OF 2009)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 22nd June, 2009)

[15th September, 2009]

An Act to further amend the Members of Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries, Allowances, Pension, etc.) Act, 1994

BE it enacted by the Legislative Assembly of The National Capital Territory of Delhi in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title and commencement. (1) This Act may be called the Members of Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries, Allowances, Pension, Etc.) (Amendment) Act, 2009.

(2) It shall come into force on such date as the Lieutenant Governor may, by notification in the official Gazette, appoint.

2. Amendment of section 9. – In the Members of Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries, Allowances, Pension, etc) Act, 1994 (Delhi Act No.6 of 1995), in section 9, for sub-section (4) commencing with the words "Where any ex-Member" and ending with the words, bracket and figure "entitled under sub-section (1)", the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(3) Where any person entitled to pension under sub-section (1) is also entitled to any other pension (including pension whether known as Swatantrata Sainik Samman pension or by any other name), such person shall be entitled to receive the pension under sub-section (1) in addition to such other pension." ".

(Savita Rao)
Joint Secretary (Law, Justice & L.A.)

2009 का विधेयक संख्या 01

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के सदस्य (वेतन, भत्ते, पेंशन, आदि) (संशोधन) विधेयक, 2009

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के सदस्य (वेतन, भत्ते, पेंशन, आदि) अधिनियम, 1994 का पुनः संशोधन करने के लिए

एक

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.** – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के सदस्य (वेतन, भत्ते, पेंशन, आदि) (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह उप–राज्यपाल द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यथा नियत तिथि से प्रभावी होगा।

2. **धारा 9 का संशोधन.**– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के सदस्य (वेतन, भत्ते, पेंशन, आदि) अधिनियम, 1994 (1995 का दिल्ली अधिनियम 6) में, धारा 9 में, "जहां कोई पूर्व संदस्य" शब्दों से प्रारंभ तथा "उप–धारा (1) के अधीन हकदार" शब्दों, कोष्ठक एवं अंक से समाप्त होने वाली उप–धारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"(3) जहाँ उप–धारा (1) के अधीन पेंशन का हकदार कोई व्यक्ति (स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन या अन्य किसी नाम के रूप में पेंशन सहित) किसी अन्य पेंशन का भी हकदार है, वह ऐसी अन्य पेंशन के अतिरिक्त उप–धारा (1) के अधीन पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा।"

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के सदस्य (वेतन, भत्ते, पेंशन, आदि) अधिनियम, 1994 (1995 का दिल्ली अधिनियम 6) की धारा 9 जैसा अद्यतन संशोधित है (जिसे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा जायेगा) दिल्ली विधानसभा के सदस्यों (जिसे इसके पश्चात् "दिल्ली का विधायक" कहा जायेगा) के पेंशन के विषय में है जो वे उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त करने के पात्र है तथा प्रावधान है कि प्रत्येक सदस्य को एक हजार पाँच सौ रुपये प्रतिमास पेंशन दी जायेगी यदि वह दो वर्ष की अवधि तक परन्तु चार वर्ष से कम, तीन हजार रुपये प्रतिमास चार वर्ष की अवधि तक परन्तु पाँच वर्ष से कम और पाँच हजार रुपये पाँच वर्ष पूरा करने पर प्रदान की जायेगी बशर्ते कि जहां कोई व्यक्ति पाँच वर्ष से अधिक अवधि तक कार्य कर चुका है उसे प्रतिवर्ष या उसके भाग छह महीने से अधिक के लिए पाँच सौ रुपये अतिरिक्त प्रदान किए जायेंगे। पाँच वर्ष से अधिक होने पर अधिकतम दस हजार रुपये प्रतिमास हो सकता है धारा 9 की उप–धारा (4) (उपधारा (3) के स्थान पर गलती से ऐसा लिखा गया है) में प्रावधान है कि जब दिल्ली का कोई भूतपूर्व विधायक तथा पेंशन का हकदार (स्वतंत्रता सेनानी के रूप में स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन को छोड़कर) किसी अन्य पेंशन पाने का पात्र होता है जो वह केन्द्र सरकार या राज्य सरकार से या किसी निगम से जिसका स्वामित्व अथवा नियंत्रण केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार के पास है या विधि के अंतर्गत स्थानीय निकाय या अन्यथा, पेंशन प्राप्त करने का भी पात्र है, तब (क) जहां उस कानून के अंतर्गत या अन्यथा रूप से प्राप्त पेंशन की राशि उपधारा (1) में पात्रता राशि के समान या उससे अधिक है, तब वह भूतपूर्व दिल्ली विधायक उस उपधारा के अंतर्गत पेंशन का पात्र नहीं होगा, (ख) जहां वह इस कानून के अंतर्गत या अन्यथा रूप से पेंशन की राशि उपधारा (1) में पात्र राशि से कम है वह भूतपूर्व दिल्ली विधायक उस उपधारा के अंतर्गत केवल उसी राशि की पेंशन पाने का पात्र होगा जो राशि वह अन्यथा रूप से उस उपधारा के अन्तर्गत प्राप्त करने की पात्रता से कम रहेगी।

2. इस प्रकार दिल्ली का पूर्व विधायक जो पूर्व संसद सदस्य भी है तथा इस नाते केन्द्र सरकार से पेंशन प्राप्त करने का पात्र है, या अन्यथा पेंशन प्राप्त करने का पात्र है उस विधायक के रूप में कार्य की अवधि के लिए उसे पेंशन नहीं दी जा सकती (स्वतंत्रता सेनानी के रूप में स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन के अलावा)। सबसे पहले, यदि संसद सदस्य होने के कारण केन्द्र सरकार से या अन्यथा रूप में प्राप्त की जाने वाली पेंशन की राशि उक्त अधिनियम के अंतर्गत पात्रता पेंशन राशि के समान या उससे अधिक है तो उसे विधायक होने के कारण पेंशन नहीं दी जा सकती और दूसरे जहां इस कानून के अंतर्गत केन्द्र सरकार से या अन्यथा रूप से प्राप्त पेंशन की राशि उक्त अधिनियम में पात्रता राशि से कम है केवल उसी राशि की पेंशन पाने का पात्र होगा जो राशि वह अन्यथा रूप से इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त करने की पात्रता से कम रहेगी।

3. बहुधा अभ्यावेदन किये गये हैं कि सांसदों का वेतन, भत्ते तथा पेंशन अधिनियम, 1954 तथा अनेक राज्यों के तत्समान अधिनियम केन्द्र सरकार से पूर्व सांसद होने पर पूर्व विधायक के रूप में पेंशन प्राप्त करने की पात्रता या अन्यथा रूप से पेंशन प्राप्ति की पात्रता पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाता जैसाकि दिल्ली के पूर्व विधायकों पर लगाया गया है। दूसरी तरफ, उन्होंने प्रावधान रखा है कि जहां पूर्व विधायक पेंशन पाने का पात्र है वह अन्य पेंशन पाने का भी पात्र है, वह व्यक्ति पूर्व विधायक के रूप में पेंशन तथा अन्य पेंशन पाने का भी पात्र है। तथापि, दिल्ली के मामले में पूर्व सांसद या पूर्व विधायक के मामले में या अन्यथा पेंशन वालों के लिए ऐसे प्रावधान नहीं बनाए गए है।

4. सांसदों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन अधिनियम, 1954 एवं अन्य राज्यों/केन्द्रीय शासित क्षेत्रों के अधिनियमों की वर्तमान स्थिति की जाँच करने पर पाया गया है कि केन्द्र सरकार तथा

छतीसगढ़, हरियाणा, तमिलनाडू जैसी राज्य सरकारों ने अपने अधिनियमों में विधायकों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन संबंधी अधिनियमों में प्रावधान किये हैं। संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के मामले में भी पांडिचेरी विधायकों पर लागू अधिनियम में भी दोनों प्रकार की पेंशन प्राप्त करने की पात्रता का प्रावधान है अर्थात् एक पांडिचेरी विधानसभा का सदस्य होने के कारण, तथा उक्त विधायक के लिए अन्य कोई पेंशन, विधायक की पेंशन के अतिरिक्त, पाने की पात्रता है। केन्द्रीय अधिनियम में, धारा 8क की उपधारा (3) में प्रावधान है कि जहां व्यक्ति उपधारा (1) के अंतर्गत पेंशन का पात्र है वह अन्य अतिरिक्त धारा (1) के अलावा पेंशन को प्राप्त करने का भी पात्र है। इसका अर्थ है कि छतीसगढ़, हरियाणा, तमिलनाडू राज्य के विधायक तथा संघ राज्य क्षेत्र पौंडिचेरी के विधायक तथा सांसद, जैसी भी स्थिति हो, उन पर लागू कानून में पेंशन प्राप्ति के पात्र है तथा किसी अन्य पेंशन जिसके वे पात्र हैं, को प्राप्त कर सकते हैं।

5. क्योंकि दिल्ली के मामले में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के सदस्य (वेंतन, भत्ते तथा पेंशन आदि) अधिनियम, 1994 में ऐसे समान प्रावधान नहीं है जो संसद सदस्यों और उपरोक्त राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के विधायकों पर लागू अधिनियमों में किये गये हैं, इसलिए यह प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के सदस्य (वेतन, भत्ते, पेंशन, आदि) अधिनियम, 1994 में भी समुचित संशोधन किया जाए तथा धारा 9 की उपधारा (4) का केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (3) के प्रावधानों के समान तथा उक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिनियमों के समान प्रावधान के अनुसार, नयी उपधारा से प्रतिस्थापन किया जाये। प्रस्तावित संशोधन का पूर्व सदस्य द्वारा स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्राप्त पेंशन (जिसे स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन या किसी अन्य नाम से जाना जाता है) पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा क्योंकि संशोधित प्रावधानों में वह अन्य पेंशनों के साथ उस पेंशन को प्राप्त करता रहेगा। इसके अलावा, इसमें उन पूर्व विधायकों को भी लाभ दिया जा सकेगा तथा वे पूर्व सांसद के रूप में या किसी अन्य स्रोत पेंशन प्राप्ति के पात्र के रूप में उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपधारा (1) के अंतर्गत पेंशन पाने का पात्र बने रहेंगे।

6. धारा 9 की उपधारा (3) को उपधास (4) के रूप में गलत संख्या दी गई है। इसी कारण इस धारा में उपधारा (4) दो बार आई है जबकि उपधारा (3) पूरी तरह गायब है। यह संभवतः किसी लिपिकीय त्रुटि के कारण हुआ है इस विसंगति को उपधारा (4) के स्थान पर प्रस्तावित उपधारा को लगा कर ठीक कर दिया जायेगा। अब इसे उपधारा (3) संख्या दी गई है।

इस विधेयक से उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति होगी।

(मंगत राम सिंघल)
मंत्री (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

प्रत्यायोजित शक्तियों से संबंधित ज्ञापन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के सदस्य (वेतन, भत्ते, पेंशन, आदि) (संशोधन) विधेयक, 2009 के अन्तर्गत किसी अधीनस्थ अधिकारी को विधायी शक्तियाँ प्रदान नहीं की जायेंगी।

वित्तीय ज्ञापन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के सदस्य (वेतन, भत्ते, पेंशन, आदि) (संशोधन) विधेयक, 2009 में उल्लिखित प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की समेकित निधि से बढ़े खर्च के रूप में केन्द्र सरकार से किसी अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं है।